[1990] 4 उम० नि० प० 546

मैनेजमैंट आफ मै० नेनाली भारत इंजीनियरिंग कं० लि०

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

9 फरवरी, 1990

न्या० के० जगन्नाथ शेट्टी और टी० के० थोम्मन

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14)—धारा 33-ख (1) (सपठित श्रम विधि)—एक श्रम न्यायालय/अधिकरण से दूसरे श्रम न्यायालय/अधिकरण को कार्यवाहियों का अंतरण—अंतरण के विधिमान्य आदेश के लिए विनिश्चय से पूर्व पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देना और सकारण आदेश अनिवार्य है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14)—धारा 33-ख (1) (सपठित श्रम विधि)—उक्त धारा के अधीन कार्यवाहियों के अंतरण की सरकार की शक्ति वैवेकिक है—इसका प्रयोग स्वप्रेरणा से अथवा पक्षकारों के अभ्यावेदन पर किया जा सकता है।

नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत—प्रक्रिया की ऋजुता की संकल्पना—यह इस बात को दर्शाने के लिए अच्छे प्रशासन का मूलभूत सिद्धांत है कि न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए बल्कि वह किया गया प्रतीत होना चाहिए—इसका पता वहां भी किया जाना चाहिए जहां नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत लागू नहीं होते—कोई कार्य ऋजुता की कोटि में आएगा या नहीं, यह किसी विशेष मामले के तथ्यों और उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा—विनिश्चय से पूर्व सुनवाई का अवसर देना विशेष स्थिति में ऋजुता के अनुरूप है—अवसर के अभाव के परिणामस्वरूप किसी विशेष प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सुनवाई का अवसर प्रदान न किया जाना स्वयं में एक प्रतिकूल कार्य है।

अपीलार्थी कंपनी विभिन्न कोयला खानों में संविदा के आधार पर कोल वाशरीज़ (कोयला साफ करने की जगह) के निर्माण में मुख्यतः कार्यरत है और संबद्ध और आनुषंगिक कार्य भी करती है। प्रत्यर्थी सं० 4 धनबाद में कंपनी की स्थापना में एक ज्येष्ठ पर्यवेक्षक था। यह कहा गया है कि उसे अपने स्कूटर के टूल बाक्स में विद्युत चुंबकीय क्लचप्लेटों के 55 टुकड़ों को छिपाकर ले जाते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। प्रबंध-मंडल ने उस घटना की विभागीय जांच की थी और उसको चोरी करने का दोषी पाया था। तदनुसार उसे सेवा से पदच्युत किया गया था। उससे उद्भूत विवाद अधिनियम की धारा 10 (1)(ग) के अधीन अधिनिर्णय के लिए धनबाद के श्रम न्यायालय को निर्देशित किया गया। श्रम न्यायालय ने मामले को 1988 के निर्देश मामला सं० 4 के रूप में दर्ज किया और पक्षकारों को सूचना जारी की। पक्षकार हाजिर हुए और उन्होंने अपने-अपने अभिवचन फाइल किए। इस प्रकार जब मामला विचार किए जाने के लिए लंबित था तो संभवतः प्रत्यर्थी ने सरकार

को यह कहते हुए लिखा कि धनबाद के श्रम न्यायालय में उपस्थित होना उसके लिए कठिन होगा क्योंकि वह हाजीपुर में रह रहा था और उसके लिए यह सुविधाजनक होगा यदि मामले को पटना के श्रम न्यायालय को अंतरित कर दिया जाए। वह आवेदन प्रबंध मंडल को कोई सूचना दिए बिना किया गया था। तथापि सरकार ने प्रत्यर्थी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और प्रबंध मंडल को कोई अवसर प्रदान किए बिना मामले को पटना के श्रम न्यायालय को अंतरित कर दिया। प्रबंध-मंडल ने अधिसूचना को अभिखंडित कराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय में समावेदन किया। उच्च न्यायालय उससे सहमत नहीं हुआ और उसने संक्षिप्त रूप से निम्नलिखित मताभिव्यक्तियों के साथ रिट याचिका खारिज कर दी "चूंकि याची पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं कारित हो रहा है और पटना के पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध कोई असद्भाव के अभिकथन नहीं किए गए हैं इसलिए चुनौती दिए गए आदेश में न्यायालय का हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है। यह आवेदन खारिज किया जाता है।" अपील में प्रबंध मंडलने सरकार की उस अधिसूचना, जिसके द्वारा धनबाद के श्रम न्यायालय से लंबित मामले को पटना के श्रम न्यायालय में अंतरित किया गया था, को चुनौती दी। इस अपील में विचारार्थ मुख्य प्रश्न यह है कि क्या सरकार को कर्मकार के अभ्यावेदन को स्वीकार करने और मामले को धनबाद के श्रम न्यायालय से पटना के श्रम न्यायालय को अंतरित करने से पूर्व प्रबंध मंडल को अवसर देना चाहिए था। मामले को अंतरित करने के लिए सरकार द्वारा दिए गए कारणों की विधिमान्यता एक अन्य प्रश्न है, जिस पर विचार किया जाना है? उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित—धारा 33-ख में किसी श्रम न्यायालय या अधिकरण के समक्ष लंबित किन्हीं कार्यवाहियों को वापस लेने के लिए और उसे किसी अन्य श्रम न्यायालय या अधिकरण को निपटान करने के लिए अंतरित करने हेतु समुचित सरकार की शक्ति का उपबंध किया गया है। इस शक्ति का स्वप्रेरणा से या पक्षकारों के अभ्यावेदन करने पर प्रयोग किया जा सकता है। धारा 33-ख की उपधारा (1) में 'सकेगा' अभिव्यक्ति इसको इस बारे में समुचित सरकार विनिश्चय करने के लिए कि क्या तद्धीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है या नहीं समुचित सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है। किंतु जब एक बार लंबित मामले के अंतरण के लिए विनिश्चय कर लिया जाता है तब कारण देने की अपेक्षा आज्ञापक हो जाती है। प्राधिकारी अपने विनिश्चय के समर्थन में कारणों को अभिलिखित करने के लिए विधिक बाध्यता के अधीन है। कारण ही विनिश्चय की जान होगी। कारणों को देने में असफल रहने पर या उचित कारण न दिए जाने पर विनिश्चय के लिए घातक होंगे। संविधान के अधीन राज्य का प्रत्येक अंग विधि शासन द्वारा विनियमित और नियंत्रित है। विधि शासन की संकल्पना का महत्व समाप्त हो जाएगा यदि राज्य के परिकरणों से अपने कृत्यों का ऋजु और न्यायोचित रीति में निर्वहन करने के कर्तव्य की अपेक्षा नहीं की जाती है। सारतः न्यायिक रूप से कार्यवाही करने की अपेक्षा कुछ नहीं है किंतु वह न्यायोचित और ऋजुता और न कि मनमानेपन या रहस्यात्मक ढंग से कार्यवाही करने की अपेक्षा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ऐसी प्रक्रिया जिन्हें न्यायिक शक्ति के प्रयोग करने में अंतर्निहित समझा जाता है वे मात्र ऐसी हैं जो न्यायोचित और ऋजु विनिश्चय को यदि सुनिश्चित नहीं तो सुकर बनाती है। इस प्रकार आधुनिक प्रशासन में जो

कुछ महत्वपूर्ण है वह प्रक्रिया की ऋजुता है जिसमें मनमानेपन का तत्व खत्म होता है। राज्य के कृत्यकारियों को ऋजुता और युक्तियुक्त रूप से कार्यवाही करनी चाहिए। (पैरा 7, 12 और 13)

'प्रक्रिया की ऋजुता', 'कार्यवाही में ऋजुता', 'ऋजुतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए कर्तव्य' संभवतः बिना किसी अंतर किए 'नैसर्गिक न्याय' के बदले प्रयोग किए गए हैं। किंतु प्रो० पाल जैक्सन ने यह संकेत किया है कि 'ऐसे वाक्यांश कभी-कभी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के पालन करने के लिए बाध्य न होने के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं किंतु इसके प्रतिकूल ऐसे एक मानक व्यवहार को निर्दिष्ट किया जा सकता है जो आजकल बढ़ रहा है और न्यायालयों से ऐसी परिस्थितियों में भी उसको अपनाने की अपेक्षा की जाती है जहां नैसर्गिक न्याय का पालन करने का कर्तव्य लागू नहीं होता है। ऋजुता अच्छे प्रशासन का एक मूलभूत सिद्धांत है। यह आधुनिक राज्य में व्यापक शक्ति को सुनिश्चित करने के लिए एक नियम है न कि शक्ति का दुरुपयोग है किंतु शाक्ति का उचित रूप से प्रयोग किया जाना है। राज्य की शक्ति समुचित के लिए प्रयुक्त की जाती है न कि अनुचित प्रयोजनों के लिए। प्राधिकारी बाह्य या असंगत विचारों से भ्रमित नहीं होता है। ऋजुता यह सुनिश्चित करने का भी सिद्धांत है कि कानूनी प्राधिकारी व्यक्तियों के हित को प्रोन्नत करने के लिए या उनके अधिकारों को प्रभावित करने के लिए न्यायोचित विनिश्चय करे। बहुत पुराने वाक्यांश का प्रयोग 'कि न्याय केवल किया ही जाना नहीं चाहिए बल्कि वह किया गया प्रतीत होना चाहिए' ऋजुता का सार है जो कि समान रूप से प्रशासनिक प्राधिकरणों को भी लागू होता है। इस प्रकार ऋजुता उचित और अच्छे प्रशासन के लिए एक प्राथमिक कसौटी है। इसकी कोई एक नियत रीति या प्रक्रिया नहीं होती है। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करती है। ऋजुता में आवश्यक रूप से सुनवाई या अभ्यावेदनों और प्रति-अभ्यावेदनों की अपेक्षा नहीं होती है। वास्तव में इसमें इतनी अधिक विस्तृत प्रक्रिया नहीं हो सकती क्योंकि प्रशासन का चक्र अनिवार्यतः तेजी से चलना चहिए। (पैरा 19 और 20)

प्रस्तुत मामले में राज्य ने श्रम न्यायालय धनबाद से लंबित निर्देश वापस ले लिया और उसे कर्मकार के अभ्यावेदन पर प्रबंध मंडल से सत्यापित किए बिना दूरस्थ पटना जिले के एक अन्य श्रम न्यायालय को अंतरित कर दिया। राज्य को प्रबंध मंडल को, जो कि लंबित निर्देश का एक पक्षकार है, अवसर प्रदान करके उसकी सत्यता का पता लगाना चाहिए था। उस अवसर से इनकार किया जाना सरकार के विनिश्चय में एक महत्वपूर्ण कमी है। इस बात पर जोर दिया गया कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों में कोई बाह्य नियम नहीं है या इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा यदि नैसर्गिक न्याय की अभिव्यक्ति की गई है। नैसर्गिक न्याय का पालन न किया जाना स्वयं किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है और प्रतिकूल प्रभाव का सबूत नैसर्गिक न्याय के इनकार किए जाने के सबूत से स्वतंत्र है जो कि अनावश्यक है। इसके पश्चात् सरकार द्वारा अंतरण आदेश के समर्थन में दिये गए कारणों पर विचार करते हैं। सरकार ने यह कहा है कि कर्मकार का निवास स्थान हाजीपुर है और इसलिए नियमित रूप से धनबाद के श्रम न्यायालय में उपस्थित होना उसके लिए असुविधाजनक होगा। तथापि अधिकांश कारण ऐसे नहीं हैं। कर्मकार और उसके परिवार के

सदस्य संभवत: अब भी धनबाद की कालोनी के एक क्वार्टर में निवास करते हैं (उपाबंध 'ग')। उसके दो पुत्र मुगमा के डिमोबिली स्कूल में पढ़ रहे हैं जो कि गांव के पास है। स्कूल के हैड मास्टर के तारीख 8 सितंबर, 1983 के पत्र (उपाबंध 'घ') की ओर निर्देश किया जा सकता है जिसमें कर्मकारों के बच्चे पढ़ रहे हैं। धनबाद में कर्मकार द्वारा अधिभोग किए गए क्वार्टर को प्रदाय की गई विद्युत के सबूत में सहायक विद्युत इंजीनियर से एक पत्र (उपाबंध ङ) की ओर भी निर्देश किया जा सकता है। चूंकि इन सामग्रियों के विरोध में कर्मकार ने अपने इस अभिकथन के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया है कि वह पटना के निकट अपने गांव में रह रहा है। वास्तव में प्रतिशपथपत्र में उसने विशेष इजाजत याचिका के साथ लगाए गए दस्तावेजों से इनकार नहीं किया है और न ही धनबाद कालोनी के क्वार्टर में अपने निवास के तथ्य के बारे में गंभीरता से कोई विवाद किया है उसके प्रतिशपथपत्र में निर्देशित वार्ड कमिश्नर की अभिकथित सिफारिश भी पेश नहीं की गई है। अतः सरकार कर्मकार के अभ्यावेदन द्वारा भ्रमित हुई थी। (पैरा 24, 25 और 26)

अवलंबित निर्णय

		पैरा
[1990]	[1990] 1 उम० नि० प० 844=जे० टी० 1989 (4) एस० सी० 532 : **चरण लाल साहू और अन्य** बनाम **भारत संघ;**	18
[1985]	[1985] 4 उम० नि० प० 106=1985 सप्ली० (2) एस० सी० आर० 131 : **भारत संघ** बनाम **तुलसी राम;**	18
[1981]	[1981] 4 उम० नि० प० 1157=1981 (1) एस० सी० सी० 664 : **स्वदेशी काटन मिल्स** बनाम **भारत संघ;**	17
[1981]	[1981] 3 उम० नि० प० 935=1981 (1) एस० सी० आर० 746 : **एस० एल० कपूर** बनाम **जगमोहन;**	25
[1980]	[1980] 4 उम० नि० प० 847=1978 (1) एस० सी० 406 और 434 : **महेन्द्र सिंह गिल** बनाम **मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नई दिल्ली;**	15
[1979]	[1979] 1 उम० नि० प० 243=1978 (2) एस० सी० आर० 521 : **मेनका गांधी** बनाम **भारत संघ;**	16
[1976]	[1976] 4 उम० नि० प० 297=1976 (2) एस० सी० आर० 884 : **अजन्ता इंडस्ट्रीज** बनाम **केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड;**	23

1990(2) eILR(PAT) SC 1

[1974] [1974] 1 उम० नि प० 577=1974 (2) एस० सी० आर० 348 :
रायप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य; 18

[1973] [1973] 1 उम० नि० प० 876=1973 (3) एस० सी० आर० 22 :
केशल मिल्स कं० लि० बनाम भारत संघ; 13

[1972] [1972] 1 डब्ल्यू० एल० आर० 534, 47 :
पर्लबर्ग बनाम वर्टी; 14

[1970] 1970 (1) एस० सी० आर० 457 :
ए० के० क्रिरियापक और अन्य बनाम भारत संघ; 12

[1964] 1964 अपील केसिज 40 :
रिज बनाम बाल्डविन; 12

[1961] [1961] 11 एल० एल० जे० 122, 130 :
ऐसोसिएटेड इलैक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज प्रा० लि० बनाम उसके कर्मकार; 8

[1957] 1957 (31) आई० टी० आर 565 :
पन्ना लाल बिजराज और एक अन्य बनाम भारत संघ. 21

अनुमोदित निर्णय

[1973] 1973 (3) एफ० एल० आर० 166 :
श्री रानी लक्ष्मी गिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि० बनाम मद्रास राज्य; 10

[1966] (1966) 11 एल० एल० जे० 213 :
पंजाब वर्सटेड स्पिनिंग मिल्स छेरवा बनाम पंजाब राज्य और अन्य; 10

उल्टे गए निर्णय

[1983] 1983 (लेबर) इंडियन केसिज 335-338 :
पायनियर लि० बनाम श्रम न्यायालय, गोरखपुर; 11

[1979] (लेबर) इंडियन केसिज 325, 329 :
मुथेस्टील्स (इंडिया) लि० बनाम श्रम न्यायालय, हैदराबाद; 11

[1977] 1977 (लेबर) इंडियन केसिज 1739-1750 :
जय इंजीनियरिंग वर्क्स लि० बनाम फोर्थ इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल कलकत्ता. 11

निर्दिष्ट निर्णय

[1971] 1971 (2) लायड्स रिप्रजेंटेशन 515 :
ऐल्टको लि० बनाम सदरलैंड. 25

सिविल अपीली अधिकारिता : 1990 की सिविल अपील सं० 1102.

1988 के सिविल रिट अधिकारिता मामला सं० 2075 में पटना उच्च न्यायालय के तारीख 7 अक्तूबर, 1988 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से — सर्वश्री ए० के० सेन, के० डी० प्रसाद, जे० कृष्ण और श्रीमती नरेश बक्शी

प्रत्यर्थियों की ओर से — सर्वश्री एस० के० सिन्हा और यू० एस० प्रसाद

न्यायालय का निर्णय न्या० के० जगन्नाथ शेट्टी ने दिया ।

न्या० शेट्टी—विशेष इजाज़त दी गई ।

2. पटना उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस अपील में एक महत्वपूर्ण प्रश्न इस बाबत उद्भूत हुआ है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (अधिनियम) की धारा 33-ख की व्याप्ति क्या है ?

3. तथ्यों को बिल्कुल संक्षिप्त रूप में उल्लिखित किया जा सकता है । अपीलार्थी कंपनी विभिन्न कोयला खानों में संविदा के आधार पर कोल वाशरीज (कोयला साफ करने की जगह) के निर्माण में मुख्यत: कार्यरत है और संबद्ध और आनुषंगिक कार्य भी करती है । शिवाजी प्रसाद सिन्हा प्रत्यर्थी सं० 4 धनबाद में कंपनी की स्थापना में एक ज्येष्ठ पर्यवेक्षक था । यह कहा गया है कि उसे अपने स्कूटर के टूल बाक्स में विद्युत चुंबकीय क्लचप्लेटों के 55 टुकड़ों को छिपाकर ले जाते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था । प्रबंध-मंडल ने उस घटना की विभागीय जांच की थी और उसको चोरी करने का दोषी पाया था । तदनुसार उसे सेवा से पदच्युत किया गया था । उससे उद्भूत विवाद अधिनियम की धारा 10 (1) (ग) के अधीन अधिनिर्णय के लिए धनबाद के श्रम न्यायालय को निर्देशित किया गया । श्रम न्यायालय ने मामले को 1988 के निर्देश मामला सं० 4 के रूप में दर्ज किया और पक्षकारों को सूचना जारी की । पक्षकार हाजिर हुए और उन्होंने अपने-अपने अभिवचन फाइल किए । इस प्रकार जब मामला विचार किये जाने के लिए लंबित था तो संभवत: प्रत्यर्थी ने सरकार को यह कहते हुए लिखा कि धनबाद के श्रम न्यायालय में उपस्थित होना उसके लिए कठिन होगा क्योंकि वह हाजीपुर में रह रहा था और उसके लिए यह सुविधाजनक होगा यदि मामले को पटना के श्रम न्यायालय को अंतरित कर दिया जाए । वह आवेदन प्रबंध-मंडल को कोई सूचना दिए बिना किया गया था । तथापि सरकार ने प्रत्यर्थी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और प्रबंध-मंडल को कोई अवसर प्रदान किए बिना मामले को पटना के श्रम न्यायालय को अंतरित कर दिया । उस बाबत जारी की गई अधिसूचना निम्न प्रकार है :

"अधिसूचना — पटना, तारीख 8 अगस्त, 1988

एस० ओ०—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 33-ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल याची श्री शिवाजी प्रसाद सिन्हा के आवेदन, जिसमें उसने अधिनिर्णय,

1990(2) eILR(PAT) SC 1

की कार्यवाहियों को पटना में अंतरित करने के लिए प्रार्थना की है, धनबाद के श्रम न्यायालय में उपस्थित होने के लिए उसके द्वारा अभिव्यक्त इन कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए कि वह हाजीपुर में अपने नियमित निवास के कारण धनबाद में उपस्थित नहीं हो सकता, धनबाद के श्रम न्यायालय के समक्ष लंबित उपाबंध 'क' में दशाई गई कार्यवाही को सहर्ष वापस लेते हैं और उक्त कार्यवाही को उस प्रक्रम, जिस पर मामला है, शीघ्र निपटान के लिए पटना के श्रम न्यायालय को अंतरित करते हैं।"

4. प्रबंध-मंडल ने अधिसूचना को अभिखंडित कराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय में समावेदन किया। उच्च न्यायालय उससे सहमत नहीं हुआ और उसने संक्षिप्त रूप से निम्नलिखित मताभिव्यक्तियों के साथ रिट याचिका खारिज कर दी : "चूंकि याची पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं कारित हो रहा है और पटना के पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध कोई असद्भाव के अभिकथन नहीं किए गए हैं इसलिए चुनौती दिए गए आदेश में हमारा हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है।

यह आवेदन खारिज किया जाता है।"

5. अपील में प्रबंध-मंडल ने सरकार के उस अधिसूचना, जिसके द्वारा धनबाद के श्रम न्यायालय से लंबित मामले को पटना के श्रम न्यायालय में अंतरित किया गया था, को चुनौती दी।

6. चूंकि आक्षेपित अधिसूचना अधिनियम की धारा 33-ख के अधीन जारी की गई इसलिए हम तत्काल निर्देश के लिए उस धारा का उल्लेख कर सकते हैं। अतात्विक शब्दों का लोप करते हुए यह इन निबंधनों में है :—

> "33-ख. कतिपय कार्यवाहियों को अंतरित करने की शक्ति—(1) समुचित सरकार इस अधिनियम के अधीन किसी श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही को लिखित आदेश द्वारा और ऐसे कारणों से, जिन्हें उसमें लिखा जाएगा, प्रत्याहृत कर सकेगी और कार्यवाही को निपटाने के लिए, उसे, यथास्थिति, किसी अन्य श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण, को अंतरित कर सकेगी, और वह श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण, जिसे कार्यवाही ऐसे अंतरित की गई है, अंतरण आदेश में के विशेष-निदेशों के अध्यधीन रहते हुए, या तो नए सिरे से या उस प्रक्रम से अग्रसर हो सकेगा जिस पर वह ऐसे अंतरित की गई थी।"

7. धारा 33-ख में किसी श्रम न्यायालय या अधिकरण के समक्ष लंबित किन्हीं कार्यवाहियों को वापस लेने के लिए और उसे किसी अन्य श्रम न्यायालय या अधिकरण को निपटान करने के लिए अंतरित करने हेतु समुचित सरकार की शक्ति का उपबंध किया गया है। इस शक्ति का स्वप्रेरणा से या पक्षकारों के अभ्यावेदन करने पर प्रयोग किया जा सकता है। धारा 33-ख की उपधारा (1) में 'सकेगा' अभिव्यक्ति इसको इस बारे में समुचित सरकार विनिश्चय करने के लिए कि क्या तद्धीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता

है या नहीं समुचित सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है। किंतु जब एक बार लंबित मामले के अंतरण के लिए विनिश्चय कर लिया जाता है तब कारण देने की अपेक्षा आज्ञापक हो जाती है। प्राधिकारी अपने विनिश्चय के समर्थन में कारणों को अभिलिखित करने के लिए विधिक बाध्यता के अधीन है। कारण ही विनिश्चय की जान होंगी। कारणों को देने में असफल रहने पर या उचित कारण न दिए जाने पर विनिश्चय के लिए घातक होंगे।

8. **असोसिएटेड इलैक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज प्रा० लि०** बनाम **उसके कर्मकार**[1] वाले मामले में सरकार ने एक अधिकरण से दूसरे अधिकरण को एक निर्देश वापस लेकर मात्र यह उल्लेख करते हुए अंतरित किया था कि समीचीनता वापस लेने और अंतरण के लिए अपेक्षित है। वापस लेने और अंतरण के आदेश की विधिमान्यता को अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि आदेश को पारित करने के लिए कोई कारण नहीं दिए गए थे। न्यायमूर्ति गजेन्द्रगडकर (जैसे कि वे उस समय थे) ने न्यायालय की ओर से यह मताभिव्यक्ति की कि कारणों के कथन के बारे में अभिलिखित किए जाने की अपेक्षा सारतः और भावना दोनों से अवश्य ही पूरी की जानी चाहिए। यह कहने के लिए कि किसी मामले को एक अधिकरण से वापस लेना और उसे दूसरे अधिकरण को अंतरित करने की समीचीनता कारण देने की कोटि में नहीं आती है जैसा कि धारा द्वारा अपेक्षित है।

9. प्रस्तुत मामले में विचारार्थ मुख्य प्रश्न यह है कि क्या सरकार को कर्मकार के अभ्यावेदन को स्वीकार करने और मामले को धनबाद के श्रम न्यायालय से पटना के श्रम न्यायालय को अंतरित करने से पूर्व प्रबंध-मंडल को अवसर देना चाहिए था। मामले को अंतरित करने के लिए सरकार द्वारा दिए गए कारणों की विधिमान्यता एक अन्य प्रश्न है, जिस पर विचार किया जाना है।

10. इस समय हम इन प्रश्नों पर विचार करेंगे किंतु ऐसा करने से पूर्व इस पहलू पर उच्च न्यायालयों के ऐसे मुख्य विनिश्चयों का संक्षिप्त सर्वेक्षण करना लाभदायक होगा। **पंजाब वसंटेड स्पिनिंग मिल्स छेरवा** बनाम **पंजाब राज्य और अन्य**[2] वाले मामले में पंजाब उच्च न्यायालय ने यह मत अभिव्यक्त किया है कि धारा 33-ख के अधीन लंबित मामले को अंतरित करने के लिए शक्ति मात्र प्रशासनिक नहीं है किंतु वह न्यायिकवत शक्ति है और समुचित सरकार किसी मामले को एक पक्षकार के अभिकथनों के आधार पर दूसरे पक्षकार को अपने मुद्दे को प्रस्तुत करने के युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना अंतरित नहीं कर सकती। यह मत मैनेजमेंट ने **श्री रानी लक्ष्मी गिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि०** बनाम **मद्रास राज्य**[3] वाले मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने भी मान्यता दी थी। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा यह बात स्पष्ट की गई थी कि उस पक्षकार द्वारा दिए गए कारण, जिसने अंतरण के लिए समावेदन किया है, विधिमान्य या संगत नहीं हो सकते या बिल्कुल भी सच नहीं हो सकते। क्या ऐसे कारण वास्तव में विद्यमान हैं और क्या उन कारणों की अंतरण के लिए कोई सुसंगतता है, का केवल परीक्षण किया जा सकता है यदि दूसरे पक्षकार को उसकी सूचना है।

1 [1961] 11 एल० एल० जे० 122, 130.

2 [1966] 11 एल० एल० जे० 213.

3 1973 (3) एफ० एल० आर० 166.

1990(2) eILR(PAT) SC 1

11. कलकत्ता, आंध्र प्रदेश और इलाहाबाद उच्च न्यायालयों ने प्रतिकूल मत अपनाया। **जय इंजीनियरिंग वर्क्स लि० बनाम फोर्थ इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल, कलकत्ता**[1] वाले मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि ऐसी परिस्थितियों के अधीन इसे समझना कठिन होगा। सरकार धारा 33-ख के अधीन आदेश करने से पूर्व पक्षकारों को नोटिस दे सकती थी। ऐसे नोटिस को देने में कोई सिद्धांत अंतर्वलित नहीं हो सकता था। ऐसी कार्यवाही करने में संभवतः किसी के अधिकार प्रभावित नहीं हो सकते थे और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के पालन करने का प्रश्न नहीं है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने **मुथं स्टील्स (इंडिया) लि०** बनाम **श्रम न्यायालय, हैदराबाद**[2] वाले मामले में इसी प्रकार के तर्क अपनाए थे। इस बात पर जोर दिया गया था कि धारा 33-ख के निबंधनों में एक श्रम न्यायालय से दूसरे श्रम न्यायालय को किसी कार्यवाही को अंतरित किए जाने से पूर्व किसी सूचना का दिया जाना अनुध्यात नहीं है। किसी भी पक्षकार को किसी विशेष न्यायालय द्वारा किसी प्रश्न को विनिश्चित कराने का अधिकार नहीं है। अंतरण की शक्ति का मनमाना प्रयोग ऐसे अंतरण के लिए कारण अभिलिखित करने के लिए कानूनी अपेक्षा द्वारा पर्याप्त रूप से सुरक्षित है। **पायनियर लि०** बनाम **श्रम न्यायालय, गोरखपुर**[3] वाले मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी इसी प्रकार का मत अभिव्यक्त किया है।

12. **रिज** बनाम **बाल्डविन**[4] वाले मुख्य इंगलिश मामले के पश्चात् और **ए० के० क्रियापक और अन्य** बनाम **भारत संघ**[5] वाले मामले में इस न्यायालय के समान रूप से महत्वपूर्ण निर्णय के पश्चात् प्रशासनिक निकायों को लागू करने के लिए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विकास में एक मोड़ आया था। दोनों ही नजीरों ने यह अधिकथित किया है कि नैसर्गिक न्याय के नियमों को लागू करने के लिए 'न्यायिक' या 'प्रशासनिक' रूप में कृत्यों का वर्गीकरण आवश्यक नहीं है। रिज वाले मामले में लार्ड रीड ने स्पष्ट किया : 'कि न्यायिक रूप से कार्यवाही करने का कर्तव्य उस कृत्य की प्रकृति से ही उद्भूत हो सकता है जो कि निष्पादित किया जाना आशयित है और उसे अतिरिक्त रूप से जोड़े गए रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है।' किरियापक वाले मामले में न्या० हेगड़े ने यह कहा था कि हमारे संविधान के अधीन विधि शासन प्रशासन के संपूर्ण क्षेत्र पर छाया हुआ है। हमारे संविधान के अधीन राज्य का प्रत्येक अंग विधि शासन द्वारा विनियमित और नियंत्रित है। विधि शासन की संकल्पना का महत्व समाप्त हो जाएगा यदि राज्य के परिकरणों से अपने कृत्यों का ऋजु और न्यायोचित रीति में निर्वहन करने के कर्तव्य की अपेक्षा नहीं की जाती है। सारतः न्यायिक रूप से कार्यवाही करने की अपेक्षा कुछ नहीं है किंतु वह न्यायोचित और ऋजुता और न कि मनमानेपन या रहस्यात्मक ढंग से कार्यवाही करने की अपेक्षा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ऐसी प्रक्रिया जिन्हें न्यायिक शक्ति के प्रयोग करने में अंतर्निहित समझा जाता है वे मात्र ऐसी हैं जो न्यायोचित और ऋजु विनिश्चय को यदि सुनिश्चित नहीं तो सुकर बनाती है।

---

[1] 1977 (लेबर) इंडियन केसिज 1739-1750.

[2] 1979 (लेबर) इंडियन केसिज 325-329,

[3] 1983 (लेबर) इंडियन केसिज 335-338,

[4] 1964 अपील केसिज 40.

[5] 1970 (1) एस० सी० आर० 457,

13. इस प्रकार आधुनिक प्रशासन में जो कुछ महत्वपूर्ण है वह प्रक्रिया की ऋजुता है जिसमें मनमानेपन का तत्व खत्म होता है। राज्य के कृत्यकारियों की ऋजुता और युक्तियुक्त रूप से कार्यवाही करनी चाहिए। तथापि ऐसा करना यह उल्लेख करने के समान नहीं है कि उन्हें न्यायिक या न्यायिकवत रूप से अवश्य ही कार्यवाही करनी चाहिए। **केशल मिल्स कं० लि० बनाम भारत संघ**[1] वाले मामले में न्या० मुखर्जी ने पृ० 30 पर निम्नलिखित कहा था—

> "संबंधित प्रशासन प्राधिकारी को चाहिए कि वह उचित, निष्पक्ष और युक्तियुक्त रूप से कार्य करे। जहां कि प्रशासनिक अधिकारियों का संबंध होता है, वहां न्यायिक रूप से कार्य करने की बनिस्बत उचित रूप से कार्य करने का कर्तव्य होता है।"

14. प्रक्रियात्मक स्तर, जो कि ऋजुतापूर्वक कार्यवाही करने के कर्तव्य द्वारा विवक्षित है, **पर्लबर्ग बनाम वर्टी**[2] वाले मामले में लार्ड पीटरसन ने निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया है—

> "ऐसे अधिकरण जिसको न्यायिक या न्यायिकवत कृत्य सौंपे जाते हैं उससे उन सिद्धांतों (अर्थात् नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत) को उन कृत्यों के निर्वहन में लागू करने की अपेक्षा की जाती है जब तक इससे प्रतिकूल कोई उपबंध न हो। किंतु जहां किसी व्यक्ति या निकाय को संसद् द्वारा प्रशासनिक या कार्यपालिक कृत्य सौंपे जाते हैं तो यह उपधारणा नहीं की जाती है कि नसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन की आवश्यकता है यद्यपि जैसा कि 'संसद् से अऋजुतापूर्वक कार्यवाही करने की उपधारणा नहीं की जाती है किंतु न्यायालयों के लिए उचित मामलों में (संभवत: सदैव) ऋजुतापूर्वक कार्यवाही करने की बाध्यता विवक्षित होती है।"

15. **महेन्द्र सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नई दिल्ली**[3] वाले मामले में न्या० कृष्ण अय्यर ने यह टिप्पणी की थी कि यद्यपि नैसर्गिक न्याय विधि शासन की आत्मा उसी प्रकार है जिस प्रकार एक कार्यवाही में ऋजुता। यह न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों तक विस्तारित होती है। लोकतांत्रिक ढांचे में प्रशासनिक शक्ति किसी कार्यवाही में ऋजुता के लिए एलर्जिक नहीं है और वैवेकिक कार्यपालिक न्याय एकपक्षीय अन्याय में नहीं किया जा सकता है। अच्छे प्रशासन की मांग कार्यवाही में ऋजुता है और यह साधारण मांग नैसर्गिक न्याय का स्रोत है। ऋजुता लचीली होती है और इसका आशय अपनी कार्यवाहियों में ऋजुता द्वारा सरकार की गुणता में सुधार करने के लिए होता है।

16. **मेनका गांधी बनाम भारत संघ**[4] वाले मामले में न्या० भगवती ने ऐसे ही समान विचार अभिव्यक्त किए थे कि दूसरे पक्ष को भी सुनो न्यायालयों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत ही प्रभावकारी नियम है कि कोई कानूनी प्राधिकारी एक न्यायोचित

---

[1] [1973] 1 उम० नि० प० 876=1973 (3) एस० सी० आर० 22.

[2] 1972 (1) डब्ल्यू० एल० आर० 534, 47.

[3] [1980] 4 उम० नि० प० 847=1978 (1) एस० सी० सी० 406 और 434.

[4] [1979] 1 उम० नि० प० 243=1978 (2) एस० सी० आर 521.

1990(2) eILR(PAT) SC 1

विनिश्चय पर पहुंचता है और वह शक्ति के दुरुपयोग पर एक स्वस्थ नियंत्रण के रूप में परिकल्पित होता है।

17. **स्वदेशी काटन मिल्स** बनाम **भारत संघ**[1] वाले मामले में स्वयं अपने और न्या० देसाई की ओर से न्याय सुनाते हुए न्या० सरकारिया ने यह कहा था कि इस बात के बावजूद कि क्या किसी कानूनी निकाय या अधिकरण को प्रदत्त शक्ति प्रशासनिक है या न्यायिकवत है, ऋजुतापूर्वक कार्यवाही करने का कर्तव्य अर्थात् सारभूत न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप साधारणतः विवक्षित होता है। उपधारणा यह है कि किसी विधि शासन वाले लोकतंत्र में राज्य या विधान मंडल का आशय यह नहीं होता है कि अपनी कानूनी शक्तियों के प्रयोग करने में उसके कृत्यकारियों को अऋजुतापूर्वक या अन्यायोचित रूप में कार्यवाही करनी चाहिए। उसी मामले में न्यायमूर्ति चिनप्पा रेड्डी ने पृ० 212 पर यह बात जोड़ी कि अब नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को इतना मूलभूत समझा जाता है जैसा कि एक व्यवस्थित स्वतंत्रता की संकल्पना में स्पष्ट होता है। अतः वे प्रत्येक विनिश्चय करने वाले कृत्य में चाहे वे न्यायिकवत या प्रशासनिक हों, स्पष्ट होते हैं। विद्वान न्यायमूर्ति ने इसके आगे यह उल्लेख किया कि जहां कानून नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के पालन के बारे में मौन होता है वहां ऐसे कानूनी मौन को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के पालन को विवक्षित रूप में लिया जाता है। चूंकि नैसर्गिक न्याय की विवक्षा उपधारणात्मक है इसलिए उसका नजीरों द्वारा अनुसरण किया जाना चाहिए जब तक कि इसे कानून के अभिव्यक्त शब्दों द्वारा या आवश्यक विवक्षा द्वारा अपवर्जित नहीं किया जाता है।

18. अनेक प्रोद्धरण दिए जा सकते हैं क्योंकि पर्याप्त निर्णयज विधि अस्तित्व में आयी है। देखिए उदाहरणार्थ **रायप्पा** बनाम **तमिलनाडु राज्य**[2] और **भारत संघ** बनाम **तुलसी राम**[3] वाले मामले। हाल ही के एक महत्वपूर्ण निर्णय **चरण लाल साहू और अन्य** बनाम **भारत संघ**[4] वाले मामले में विद्वान् मुख्य न्यायमूर्ति सब्यसाची मुखर्जी ने इस पहलू पर इस न्यायालय की लगभग सभी दलीलों को निर्दिष्ट किया है और इस बात पर जोर दिया है कि इस देश के सांविधानिक ढांचे में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत मूलभूत हैं। किसी भी आदमी या आदमी के किसी अधिकार को उसके द्वारा विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए अवसर दिए बिना प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। न्याय एक मनोवैज्ञानिक उत्कंठा है जिसमें व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को किसी ऐसे न्यायालय या व्यादिष्ट प्राधिकारी, जो विनिश्चय करने के लिए बाध्य है के समक्ष अपने अधिकार को प्रभावित करने से पूर्व उसे अवसर दिए बिना अपने दृष्टिकोण को स्वीकार करने की ईप्सा करता है।

19. यह उल्लेख किया जा सकता है कि 'प्रक्रिया की ऋजुता', 'कार्यवाही में ऋजुता', 'ऋजुतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए कर्तव्य' संभवतः बिना किसी अंतर किए 'नैसर्गिक न्याय' के बदले प्रयोग किए गए हैं। किंतु प्रो० पाल जैक्सन ने यह संकेत किया है कि 'ऐसे वाक्यांश कभी-कभी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के पालन करने के लिए बाध्य न

---

[1] [1981] 4 उम० नि० प० 1157=1981 (1) एस० सी० सी० 664.

[2] [1974] 1 उम० नि० प० 577=1974 (2) एस० सी० आर० 348.

[3] [1985] 4 उम० नि० प० 106=1985 सप्ली० (2) एस० सी० आर० 131.

[4] [1990] 1 उम० नि० प० 844=जे० टी० 1989 (4) एस० सी० 532.

होने के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं किंतु इसके प्रतिकूल ऐसे एक मानक व्यवहार को निर्दिष्ट किया जा सकता है जो आजकल बढ़ रहा है और न्यायालयों से ऐसी परिस्थितियों में भी उसको अपनाने की अपेक्षा की जाती है जहां नैसर्गिक न्याय का पालन करने का कर्तव्य लागू नहीं होता है ।" (नेचुरल जस्टिस बाई पाल जैक्सन द्वितीय संस्करण, पृ० 11)

20. हम प्रो० जैक्सन द्वारा अभिव्यक्त मत से सहमत हैं। हमारी राय में ऋजुता अच्छे प्रशासन का एक मूलभूत सिद्धांत है। यह आधुनिक राज्य में व्यापक शक्ति को सुनिश्चित करने के लिए एक नियम है न कि शक्ति का दुरुपयोग है किंतु शक्ति का उचित रूप से प्रयोग किया जाना है। राज्य की शक्ति समुचित के लिए प्रयुक्त की जाती है न कि अनुचित प्रयोजनों के लिए। प्राधिकारी बाह्य या असंगत विचारों से भ्रमित नहीं होता है। ऋजुता यह सुनिश्चित करने का भी सिद्धांत है कि कानूनी प्राधिकारी व्यक्तियों के हित को प्रोन्नत करने के लिए या उनके अधिकारों को प्रभावित करने के लिए न्यायोचित विनिश्चय करे। बहुत पुराने वाक्यांश का प्रयोग 'कि न्याय केवल किया ही जाना नहीं चाहिए बल्कि वह किया गया प्रतीत होना चाहिए' ऋजुता का सार है जो कि समान रूप से प्रशासनिक प्राधिकरणों को भी लागू होता है। इस प्रकार ऋजुता उचित और अच्छे प्रशासन के लिए एक प्राथमिक कसौटी है। इसकी कोई एक नियत रीति या प्रक्रिया नहीं होती है। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करती है। जैसा कि पलरबर्ग **बनाम** वर्टी वाले उपरोक्त मामले में लार्ड पीयरसन ने कहा था ऋजुता में आवश्यक रूप से सुनवाई या अभ्यावेदनों और प्रति-अभ्यावेदनों की अपेक्षा नहीं होती है। वास्तव में इसमें इतनी अधिक विस्तृत प्रक्रिया नहीं हो सकती क्योंकि प्रशासन का चक्र अनिवार्यतः तेजी से चलना चाहिए।

21. इसके असमान समस्या वाला मामला **पन्ना लाल बिंजराज और एक अन्य बनाम भारत संघ**[1] वाला मामला था। उसमें आय-कर आयुक्त ने इनकम टैक्स ऐक्ट, 1922 की धारा 5 (7-ए) के अधीन निहित शक्ति द्वारा किसी निर्धारिती का मामला एक आय-कर अधिकारी से दूसरे आय-कर अधिकारी को निर्धारिती की सुनवाई किए बिना अंतरित कर दिया था। इनकम टैक्स ऐक्ट, 1922 की धारा 5 (7-ए) में निम्नलिखित उपबंध किया गया है—

> *"आय-कर आयुक्त किसी मामले को अपने अधीनस्थ एक आय-कर अधिकारी से दूसरे आय-कर अधिकारी को अंतरित कर सकता है और केंद्रीय राजस्व बोर्ड किसी मामले को एक आय-कर अधिकारी से दूसरे आय-कर अधिकारी को अंतरित कर सकता है। ऐसा अंतरण कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर किया

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है—

> "The Commissioner of Income-Tax may transfer any case from one Income-Tax Officer subordinate to him to another, and the Central Board of Revenue may transfer any case from any one Income-Tax Officer to another. Such transfer may be made at any

[1] 1957 (31) आई० टी० आर० 565.

1990(2) eILR(PAT) SC 1

जा सकता है और उस आय-कर अधिकारी को जिससे मामला अंतरित किया जाता है, पहले जारी की गई किसी सूचना के पुनः जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी।"

22. इस धारा में निर्धारिती को उसके मामले को एक आय-कर अधिकारी से दूसरे आय-कर अधिकारी को अंतरित करने से पूर्व अवसर देने का उपबंध नहीं किया गया था। निर्धारिती ने धारा की सांविधानिक विधिमान्यता को चुनौती दी। इस न्यायालय ने इस आधार पर उसकी विधिमान्यता को कायम रखा कि यह उपबंध प्रशासनिक सुविधा के लिए है। न्या० एन० एच० भगवती ने न्यायालय की ओर से निर्णय सुनाते हुए पृ० 589 पर निम्नलिखित टिप्पणी की—

"·········यह समीचीन होगा यदि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाए जहां परिस्थितियां अनुज्ञात करे। ऐक्ट की धारा 5 (7-ए) के अधीन अंतरण के किसी आदेश को करने से पूर्व आय-कर आयुक्त या केंद्रीय राजस्व बोर्ड, जैसी भी स्थिति हो, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करे और उस पक्षकार को जिस पर प्रभाव पड़ता है, सूचना दी जाए और उसे उस प्रश्न पर अपने मत प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाए तथा आदेश के कारण संक्षेप में लिखित में दिए जाएं।·········निर्धारिती की सद्भावना या ईमानदारी के विरुद्ध कोई उपधारणा नहीं है और सामान्यतः आय-कर प्राधिकारी किसी निर्धारिती को उस समय अपना मत प्रस्तुत करने के युक्तियुक्त अवसर देने से इनकार करने में न्यायोचित नहीं होंगे जब ऐक्ट की धारा 64 (1) और (2) में अधिकथित सामान्य प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला उसके विरुद्ध कोई आदेश किया जाता है चाहे वह राज्य के भीतर एक आय-कर अधिकारी से किसी दूसरे आय-कर अधिकारी को अंतरण करने का मामला हो सिवाय इसके जहां अंतरण का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा यदि प्रभावित पक्षकार को सूचना दी गई थी।"

23. धारा 5 (7-ए) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 127 द्वारा बदली गई थी जो कि अब किसी मामले में निर्धारिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अंतरण के आदेश करने में कारणों को अभिलिखित करने के लिए बाध्य बनाती है। **अजन्ता इंडस्ट्रीज** बनाम **केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने धारा 127 के अधीन पारित अंतरण आदेश की विधिमान्यता पर विचार किया था और यह अभिनिर्धारित किया था कि फाइल पर कारणों को मात्र अभिलिखित करना पर्याप्त नहीं है। प्रभावित पक्षकार को कारणों को देना अनिवार्य था। उसे मामले में अंतरण का आदेश निर्धारिती को कारण संसूचित न किए जाने के कारण अभिखंडित किया गया था।

24. प्रस्तुत मामले में राज्य ने श्रम न्यायालय, धनबाद से लंबित निर्देश वापस ले

---

stage of the proceedings and shall not render necessary the re-issue of any notice already issued by the Income-Tax Officer from whom the case is transferred."

---

[1] [1976] 4 उम० नि० प० 297=1976 (2) एस० सी० आर० 884.

लिया और उसे कर्मकार के अभ्यावेदन पर प्रबंधमंडल से सत्यापित किए बिना दूरस्थ पटना जिले के एक अन्य श्रम न्यायालय को अंतरित कर दिया। राज्य को प्रबंधमंडल, जो कि लंबित निर्देश का एक पक्षकार है, को अवसर प्रदान करके उसकी सत्यता का पता लगाना चाहिए था। उस अवसर से इनकार किया जाना सरकार के विनिश्चय में एक महत्वपूर्ण कमी है।

25. प्रबंध-मंडल को ऐसे अवसर के अभाव के लिए किसी विशेष प्रतिकूल प्रभाव को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। **ऐल्टको लि० बनाम सदरलैंड**[1] वाले मामले में न्या० डोनाल्डसन की मताभिव्यक्तियों को निर्देशित करने के पश्चात् न्यायमूर्ति चिनप्पा रेड्डी ने **एस० एल० कपूर** बनाम **जगमोहन**[2] वाले मामले में यह कहा कि यह संकल्पना कि न्याय केवल किया ही जाना नहीं चाहिए बल्कि किया गया प्रतीत होना चाहिए, हमारी प्रणाली का आधार है और इसका वास्तविक अन्याय के मामलें के साथ कोई संबंध नहीं है किंतु इसका संबंध अन्याय के प्रकट होने या संभव अन्याय के साथ है। इस बात पर जोर दिया गया कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों में कोई बाह्य नियम नहीं है या इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा यदि नैसर्गिक न्याय की अभिव्यक्ति की गई है। नैसर्गिक न्याय का पालन न किया जाना स्वयं किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव वालने वाला है और प्रतिकूल प्रभाव का सबूत नैसर्गिक न्याय के इनकार किए जाने के सबूत से स्वतंत्र है जो कि अनावश्यक है।

26. इसके पश्चात् हम सरकार द्वारा अंतरण आदेश के समर्थन में दिये गए कारणों पर विचार करते हैं। सरकार ने यह कहा है कि कर्मकार का निवास स्थान हाजीपुर है और इसलिए नियमित रूप से धनबाद के श्रम न्यायालय में उपस्थित होना उसके लिए असुविधाजनक होगा। तथापि अधिकांश कारण ऐसे नहीं हैं। कर्मकार और उसके परिवार के सदस्य संभवतः अब भी धनबाद की कालोनी के एक क्वार्टर में निवास करते हैं (उपाबंध 'ग')। उसके दो पुत्र मुगमा के डिमोबिली स्कूल में पढ़ रहे हैं जो कि गांव के पास है। स्कूल के हैडमास्टर के तारीख 8 सितंबर, 1983 के पत्र (उपाबंध 'घ') की ओर निर्देश किया जा सकता है जिसमें कर्मकारों के बच्चे पढ़ रहे हैं। धनबाद में कर्मकार द्वारा अधिभोग किए गए क्वार्टर को प्रदाय की गई विद्युत के सबूत में सहायक विद्युत इंजीनियर से एक पत्र (उपाबंध ङ) की ओर भी निर्देश किया जा सकता है। चूंकि इन सामग्रियों के विरोध में कर्मकार ने अपने इस अभिकथन के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया है कि वह पटना के निकट अपने गांव में रह रहा है। वास्तव में प्रतिशपथपत्र में उसने विशेष इजाजत याचिका के साथ लगाए गए दस्तावेजों से इनकार नहीं किया है और न ही धनबाद कालोनी के क्वार्टर में अपने निवास के तथ्य के बारे में गंभीरता से कोई विवाद किया है। उसके प्रतिशपथपत्र में निर्देशित वार्ड कमिश्नर की अभिकथित सिफारिश भी पेश नहीं की गई है। अतः हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई हिचक नहीं है कि सरकार कर्मकार के अभयावेदन द्वारा भ्रमित हुई थी।

27. परिणामतः हम अपील मंजूर करते हैं और तारीख 8 अगस्त, 1988 की वह अधिसूचना अभिखंडित करते हैं जिसके द्वारा बिहार सरकार ने धनबाद के श्रम न्यायालय से

[1] 1971 (2) लायड्स रिप्रजेंटेशन 515.

[2] [1981] 3 उम० नि० प० 935=1981 (1) एस० सी० आर० 746.

1990(2) eILR(PAT) SC 1

मामला पटना के श्रम न्यायालय में अंतरित किया था। श्रम न्यायालय धनबाद अब मामले को यथापूर्व शीघ्र निपाटाने के लिए अग्रसर होगा।

28. मामले की परिस्थितियों में हम खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं करते हैं।

अपील मंजूर की गई।

च०

[1990] 4 उम० नि० प० 560

इंडियन आक्सीजन लिमिटेड

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

15 फरवरी, 1990

न्या० के० जगन्नाथ शेट्टी और कुलदीप सिंह

बिहार औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय और त्यौहार अवकाश तथा आकस्मिक छुट्टी) अधिनियम, 1977 (1977 का 17)—धारा 3, 13 और 14 [सहपठित बिहार औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय और त्यौहार अवकाश तथा आकस्मिक छुट्टी) नियम, 1979 का नियम 3 (2)]—राष्ट्रीय और त्यौहार अवकाश—धारा 3 के अधीन नियत आठ संदत्त अवकाश—करार (समझौते) के अधीन कार्यालय कर्मचारियों के लिए 18 दिन और कारखाना कर्मचारियों के लिए 14 दिन के कुल अवकाश अनुज्ञात होना—अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस (1 मई) के अवसर पर अवकाश विद्यमान अवकाशों के अतिरिक्त नहीं है बल्कि विद्यमान अवकाशों में समायोजित किया जा सकता है।

इस अपील में अवधारण के लिए एकमात्र प्रश्न इस बारे में है कि क्या अपीलार्थी-कंपनी के कर्मचारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस (1 मई) विद्यमान अवकाशों के अतिरिक्त संदत्त अवकाश होगा। अपीलार्थी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसकी इस देश के विभिन्न भागों में विनिर्माण इकाइयां और विक्रय केन्द्र/बाजार हैं। बिहार राज्य में कंपनी का जमशेदपुर, बर्मा माइन्स में मोना रोड़ पर एक स्थापन है जो औद्योगिक और आयुर्विज्ञानिक केसेज विनिर्माण कर रहा है और रांची में एक और अन्य स्थापन है जो तरल आक्सीजन विस्फोटकों का विनिर्माण कर रहा है। अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित—धारा 3 तीन राष्ट्रीय अवकाशों, एक श्रम दिवस, और चार त्यौहार अवकाशों के लिए उपबंधित करती है। इस प्रकार यह कानूनी रूप से आठ संदत्त अवकाश नियत करती है जिनमें से चार प्रबंधक और कर्मचारियों की इच्छा पर त्यौहार के लिए छोड़ दिए गए हैं। तथापि, ये आठ अवकाश उन अवकाशों के अतिरिक्त नहीं हैं जिन पर समझौते